न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

मु0न0 : 87/2021 (2021/137)

1. खूबराम पुत्र श्री वेदप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राज0

—वादी

बनाम

1. वेद प्रकाश पुत्र श्री जगनाराम जाति ब्राहम्ण निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राज0
2. प्रेमकुमार पुत्र वेदप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राज0
3. सुभाषचन्द्र पुत्र वेदप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राज0
4. सरोजबाला पुत्री वेदप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राज0
5. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थिति : वकील श्री योगेश शर्मा : **वादी**
वकील श्री जाकिर हुसैन : **प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4**
निर्णय **दिनांक :** 09/9/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 7 एनटीआर के खाता सं0 85/79 के मु0नं0 13 के किला नं0 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25 कि 1.7710 है0, मु0नं0 18 के किला नं0 1 ता 10 कि 2.5300 है0 कुल 4.3010 है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 वेदप्रकाश के नाम राजस्व रिकार्ड है।

वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दू परिवार के सहदायिक सदस्य है। वाद भूमि पैतृक पुस्तैनी कृषि भूमि है जो पूर्व में वादी के मोरूस आला जगनाराम की खातेदारी हुआ करती थी जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 व 4 का भी प्रतिवादी सं0 1 के साथ बहिस्सा बराबर का हक बनता है, चूंकि उपरोक्त कृषि भूमि पैतृक सम्पति थी और प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान है इसलिए प्रतिवादी सं0 1 ने वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 को अपने साथ बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार मानते हुए बंटवारा कर दिया और इसी अनुसार कब्जा काश्त देते हुए अलग हिस्सा काश्त करने के लिए दे दिया और प्रतिवादिया सं0 4 ने उक्त बंटवारा पर सहमति देते हुए अपना हक हिस्सा सम्पूर्ण वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में बहिस्सा बराबर त्याग कर शुन्य कर दिया। इस प्रकार वादी खुबराम व प्रतिवादी सं0 2 प्रेम कुमार, प्रतिवादी सं0 2 सुभाष चन्द्र चक/ग्राम 7 एनटीआर के खाता सं0 85/79 के मु0नं0 13 के किला नं0 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25 की 1.7710 है0, मु0नं0 18 के किला नं0 1 ता 10 कि 2.5300 है0 कुल 4.3010 है0 खातेदारी में वेद प्रकाश के साथ बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हो चुके है और इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवाने के कानूनी अधिकारी है।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने जबाब दावे पेश किये। प्रतिवादी सं0 5 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

साक्ष्य में वादी ने वादी खूबराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 7 एनटीआर के खाता सं0 85/79 सम्वत् 2074 से 77 की प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 7 एनटीआर सम्वत् 2042 प्रदर्श 2, चित्रप्रति वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3ए प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि पैतृक पुस्तैनी कृषि भूमि है जो पूर्व में वादी के मोरूस आला जगनाराम की खातेदारी हुआ करती थी जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 व 4 का भी प्रतिवादी सं0 1 के साथ बहिस्सा बराबर का हक बनता है। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने चक 7 एनटीआर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा के अंकित किया है कि वाद भूमि पैतृक पुस्तैनी कृषि भूमि है तथा वादी के मोरूस आला जगनाराम की खातेदारी हुआ करती थी जिसकी पुष्टि में वादी ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 7 एनटीआर सम्वत् 2042 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है जिसमें वाद भूमि वादी के दादा जगनाराम वल्द आदुराम के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा चित्रप्रति वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3ए में वेदप्रकाश के वारिसान में पत्नि इन्द्रावती, तीन पुत्र खूबराम, सुभाषचन्द्र, प्रेम कुमार व एक पुत्री सरोज बाला होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 7 एनटीआर के खाता सं0 85/79 के मु0नं0 13 के किला नं0 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25 की 1.7710 है0, मु0नं0 18 के किला नं0 1 ता 10 की 2.5300 है0 कुल 4.3010 है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 वेदप्रकाश के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 वेदप्रकाश के बजाय वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 4 ने वाद कृषि भमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 चारों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ..09/9/21... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुन्तला R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)